



2026:AHC:26228

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4639 सन् 2026

श्रीमती खलीकुनिशा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)	: अमरेश सिन्हा, अनुभव सिन्हा
प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)	: सी.एस.सी., पंकज कुमार गुप्ता

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, निजी प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उपमंडल अधिकारी, मेहदावल, जिला संत कबीर नगर को निर्धारित अवधि के भीतर वाद संख्या 02247 सन् 2018 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T201817650302247) (खलीकुनिशा बनाम स्वालेहा खातून) में आदेश 9 नियम 4 सीपीसी के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर 14.11.2019 के पुनर्स्थापना आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने के लिए की गई एकमात्र प्रार्थना है।
4. उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
5. पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण करते हुए अंतिम रूप से प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उपमंडल अधिकारी, मेहदावल, जिला संत कबीर नगर को याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर उपरोक्त मामले पर निर्णय लेने का, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर, कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

फरवरी 5, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"